न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

68 / 2021

उनवान

1. प्रभूदयाल पुत्र हणमान,
2. पूरणमल पुत्र गजानन्द,
3. रामगोपाल पुत्र हणमान,
4. शंकरलाल पुत्र हणमान,
5. प्रमोद पुत्र रामभरोसा,

समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

----प्रार्थीगण

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमू, जिला जयपुर।
2. गिरधारी पुत्र गुल्ला
3. ज्याना देवी पत्नी हनुमान
4. नन्छूराम पुत्र गुल्ला
5. नाथू पुत्र भूरा
6. बाबूलाल पुत्र भूरा
7. बालूराम पुत्र गोपी
8. रामेश्वरदयाल पुत्र गोपी
9. श्रीराम पुत्र भूरा
10. सुरेश कुमार पुत्र गोपी
11. हनुमान पुत्र भूरा

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

----अप्रार्थीगण

12. नाथी देवी पत्नी गजानन्द
13. मालीराम पुत्र हणमान
14. कलावती पत्नी रामभरोसा
15. कानाराम पुत्र रामभरोसा

समस्त जाति नाई निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

-- परफोर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक–06.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर में प्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 2446 / 3647 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2458 / 3648 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2459 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2460 / 3649 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर [illegible] प्रार्थीगण व परफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 15 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रार्थीगण की भूमि के लगवा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 11 की खातेदारी भूमि स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.23 10:48:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

उक्त वर्णित प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान् तहसीलदार महोदय, चौमूं के ...ा क्रमांक भू.अ./2018/4342 दिनांक 24.10.2018 के आदेश की अनुपालना में ...टवारी हल्का ईटावा भोपजी द्वारा दिनांक 30.10.2018 को ग्राम ईटावा भोपजी के खसरा नम्बर 2460, 2446/3647, 2458/3648, 2459, 2460/3649 के मौकें पर सीमाज्ञान हेतु पहुंची। मौके पर प्रार्थी एवं अन्य पडौसी खातेदार उपस्थित आये। उपस्थिति के समक्ष जरीब चलाकर चाह खसरा नम्बर 2548 व 2514 को चौक किया जो मौका नक्शा सही पाया गया। उक्त दोनों चाह को व दोनों चाह के बीच चलाई गई जरीब लाईन से व आवेदित खसरा नम्बर 2460, 2446/3647, 2458/3648, 2459, 2460/3649 का सीमाज्ञान करवाया गया। जिस रिपोर्ट पर मौके पर उपस्थित पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये गये थे। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि की प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की एकमात्र तन्हा खातेदारी की भूमि है जिसकी पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 11 प्रार्थीगण को उसकी कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की भूमि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित की पत्थरगढ़ी नही करवाने दे रहे है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 11 प्रार्थीगण के पडौसी काश्तकार व्यक्ति है जिनका प्रार्थीगण की आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध या सरोकार नही है, जिस कारण यदि मान्य न्यायालय द्वारा पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाते है तो इससे किसी भी पक्षकार को कोई हानि नही होगी तथा प्रार्थीगण अपनी कब्जेशुदा स्वामित्व की भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेंगे जिससे प्रार्थीगण की फसल को आवारा पशुओं से किसी प्रकार की हानि नही होगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि खसरा नम्बर 2446/3647 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2458/3648 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2459 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2460/3649 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 30.10.2018 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट ईटावा भोपजी में पेश हुई। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 15 बाव... के अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही ... को सीधे सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.23 10:48:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
... जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 30.10.2018 को पटवारी हल्का द्वारा किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 30.10.2018 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राहुल जैन
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.23 10:48:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner